तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते रिपोर्ट [illegible] बांदीकुई पत्रावली दिनांक 19/11/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
19/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/8677 दिनांक 28/08/2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वास्ते साक्ष्य/बहस पत्रावली दिनांक 17/12/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) [illegible] (18/?) [illegible]
17/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। बहस प्रार्थना सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। 17/12/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्याः– 04/2025
प्रकरण दर्ज दिनांकः– 09.01.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक :– 17.12.2025

उनवान

1. महेश पुत्र काना जाति माली निवासी झील की ढाणी नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा। :–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई। :–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट जरिये वकील श्री ओमप्रकाश सैनी के इस आशय से पेश किया है कि भूमि खांता संख्या नया 46 पुराना 44 खसरा नम्बर 312 रकबा 0.03 हैक्टे, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.44 हैक्टे, खसरा नम्बर 315 रकबा 0. 01 हैक्टे, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.34 हैक्टे, खसरा नम्बर 327 रकबा 0.34 हैक्टे, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.33 हैक्टे, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.33 हैक्टे, खसरा नम्बर 330 रकबा 0. 48 हैक्टे, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.50 हैक्टे, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.02 हैक्टे, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.23 हैक्टे, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.26 हैक्टे, खसरा नम्बर 340 रकबा 0. 01 हैक्टे, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.22 हैक्टे, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.02 हैक्टे कुल किता 16 कुल रकबा 3.57 हैक्टेयर वाके रामा झील की ढाणी नन्देरा पटवार हल्का नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/16 दर्ज है। खाता संख्या नया 46 पुराना 44 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी की माता का नाम मल्ली पत्नि काना गलत दर्ज कर दिया है प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त जब प्रार्थी व उसकी माता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण दर्ज किया गया तो दिनांक 13/05/1986 को खोले गये नामान्तकरण में प्रार्थी की माता का नाम गुल्ली बेवा कान्या सही दर्ज किया गया है तथा राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी की माता के नाग खातेदारी दर्ज करते समय उक्त नाम गुल्ली के स्थान पर मल्ली दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी की माता का वास्तविक नाम गुल्ली है। प्रार्थी की माता के पहचान पत्र, राशन कार्ड व बैंक पासबुक में प्रार्थी की माता का नाम गुल्ली देवी सही दर्ज है और प्रार्थी की माता के सभी दस्तावेज में प्रार्थी की माता का नाम गुल्ली देवी दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी की माता का वास्तविक सही नाम गुल्ली देवी पत्नि काना उर्फ कान्या है। खाता संख्या नया खाता संख्या नया 46 पुराना 44 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का गलत नाम मल्ली को हजफ करवाकर उसके स्थान पर सही नाम गुल्ली पत्नि कान्या उर्फ काना दर्ज किया जावे। प्रार्थी की माता के राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकन हो जाने के कारण प्रार्थी की माता के दिनांक 11/08/2016 को स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की माता के स्थान पर प्रार्थी के नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु दिनांक 01/01/2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को प्रथम बार उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई है जिसके कारण प्रार्थी की माता के स्थान पर प्रार्थी के नाम नामान्तकरण दर्ज करने में समस्या का सामना करना पड रहा है। तथा उक्त गलत नाम के इन्द्राज से प्रार्थी के नाम नामान्तकरण नहीं खुल रहा है। अतः प्रार्थी

Scanned with OKEN Scanner

की माता के नाम को मल्ली के स्थान पर गुल्ली पत्नि कान्या उर्फ काना दर्ज करवाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। तहसीलदार बांदीकुई को उक्त प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम झील की ढाणी की जमाबन्दी के खाता संख्या 46 किता–16 रकबा 3.57 है. में खातेदार का नाम मल्ली पत्नी कान्या हि. 1/16 जाति माली दर्ज रिकार्ड है। ग्राम झील की ढाणी में उपरोक्त भूमि में कान्या पुत्र गुल्ला की विरासत के नामा. संख्या 383 तस्दीक दिनांक 13.05.86 में खातेदार का नाम गुल्ली बेवा कान्या दर्ज रिकार्ड है। उपस्थित ग्रामवासियों ने अवगत करवाया कि मल्ली पत्नी कान्या का वास्तविक नाम गुल्ली पत्नी कान्या है। मल्ली पत्नी कान्या एवं गुल्ली पत्नी कान्या एक ही महिला है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। मृतक खातेदार के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी मृतक का नाम गुल्ली पत्नी कान्या दर्ज है। मृतक के PPO आदेश में भी नाम गुल्ली पत्नी कान्या दर्ज है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य/बहस पर नियत की गयी। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी की माता का नाम मल्ली दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की माता का सही नाम गुल्ली है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि भूमि खाता संख्या नया 46 पुराना 44 खसरा नम्बर 312 रकबा 0.03 हैक्टे, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.44 हैक्टे, खसरा नम्बर 315 रकबा 0. 01 हैक्टे, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.34 हैक्टे, खसरा नम्बर 327 रकबा 0.34 हैक्टे, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.33 हैक्टे, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.33 हैक्टे, खसरा नम्बर 330 रकबा 0. 48 हैक्टे, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.50 हैक्टे, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.02 हैक्टे, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.23 हैक्टे, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.26 हैक्टे, खसरा नम्बर 340 रकबा 0. 01 हैक्टे, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.22 हैक्टे, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.02 हैक्टे कुल किता 16 कुल रकबा 3.57 हैक्टेयर वाके रामा झील की ढाणी नन्देरा पटवार हल्का नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में प्रार्थी की माता के दर्ज गलत नाम मल्ली पत्नि काना को हजफ कर उसके स्थान पर गुल्ली पत्नि कान्या अंकन किया जावे। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner